बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2019

अधिसूचना

सं0–08 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खण्ड)..131..(8) / रा0,दिनांक– 27/2/19

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली 2012 का नियम 2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–**

2(1) इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो।

(i) **"विशेष सर्वेक्षण" से अभिप्रेत है भूमि के अद्यतन स्थिति के अनुसार हवाई फोटोग्राफी / सेटेलाईट फोटो का प्रयोग कर आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटल मानचित्र का निर्माण एवं भूमि सम्बंधी अद्यतन स्वत्व एवं स्वामित्व की स्थिति के आधार पर अधिकार अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण किया जाना;**

(ii) **"मानचित्र"** से अभिप्रेत है हवाई फोटोग्राफी / सेटेलाईट फोटो का प्रयोग कर, आधुनिक प्रौद्योगिकी / ई0टी0एस0 या मानवीय तकनीक की सहायता से, राजस्व ग्राम के सभी वर्त्तमान भू–खंडों का ग्रामवार खेसरों की कुल संख्या एवं चौहद्दी तथा अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ तैयार किया गया भूमि मानचित्र अर्थात् प्रतिआकृति;

(iii) **"नियंत्रण बिन्दू (Control Point)"** से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण बिन्दुओं यथा प्राईमरी, सेकेन्डरी, टरसियरी, इत्यादि के सन्दर्भ में सर्वेक्षण हेतु बनाए गये नियंत्रण बिन्दू;

(iv) **"अमीन डायरी"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2 की उपधारा (2) के क्रम संख्या–(xi) में वर्णित अमीन / विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा सर्वेक्षण कार्य में क्षेत्र सत्यापन एवं जाँच हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान, भू–सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों के

अन्तर्गत की जाने वाली भूमि सर्वेक्षण एवं मापी की कार्रवाईयों को दर्ज करने वाली विहित प्रपत्र में संधारित डायरी;

(v) **"याद्दाश्त पंजी"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 की उपधारा–(1) के अधीन अमीन और कानूनगो द्वारा अपने अधिकारिता के अधीन रैयतों से प्राप्त उनकी भूमि के संबंध में दिये गये दावों एवं अन्य विवरण को अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र में संधारित पंजी;

(vi) **"वंशावली"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 की उपधारा–(1) के अधीन अमीन और कानूनगो द्वारा, अपने अधिकारिता के अधीन रैयतों से प्राप्त, उनके वंशानुक्रम के सम्बन्ध में, उनके मूल खतियानी/जमाबंदी रैयत से उनके सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाली विहित प्रपत्र में तैयार की गई वंशावली एवं उसमें अंकित दावा आधारित भू–विवरणी;

(vii) **"भूमि सुधार उप समाहर्त्ता"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार भू–सर्वेक्षण के दौरान भू–अभिलेखों का संधारण करने हेतु वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रूप में नियुक्त पदाधिकारी;

(viii) **"अंचल अधिकारी"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा अंचल अधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी;

(ix) **"विशेष सर्वेक्षण अमीन"** से अभिप्रेत है नियमावली एवं अधिनियम में वर्णित अमीन के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु, विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए, अमीन के रूप में कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण अमीन;

(x) **"विशेष सर्वेक्षण कानूनगो"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कानूनगो के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए कानूनगो के रूप में कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण कानूनगो;

(xi) **"विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेष सर्वेक्षण के लिए कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी;

(xii) **'ई०टी०एस०' (Electronic Total Station)** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि की मापी करने वाला आधुनिक सयंत्र;

(xiii) **'डी0जी0पी0एस0' (Differential Global Positioning System)** से अभिप्रेत है सेटेलाईट से प्राप्त संकेतों से धरातल के निर्देशांकों को जोड़ते हुए सही–सही धरातलीय स्थान की जानकारी देने वाला एवं स्थान विशेष का विशिष्ट निर्देशांक प्रदर्शित करने वाला आधुनिक सयंत्र;

(xiv) **टाई लाईन** से अभिप्रेत है मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर सर्वेक्षण उप खण्डों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेखा;

(xv) **तेरीज अर्थात् खतियानी विवरणी** से अभिप्रेत है वर्तमान समय में संव्यवहार में प्रचलित अर्थात् अद्यतन खतियान की प्रविष्टियों में दर्ज सूचनाओं को विहित प्रपत्र में तैयार की गई विवरणी;

(xvi) **भू–पार्सल मानचित्र** (Land Parcel Map) से अभिप्रेत है किसी मानचित्र में प्रदर्शित भू–खंडों के किसी विशिष्ट भाग को पूर्ण या आंशिक खेसरा के रूप में प्रदर्शित करने वाला मानचित्र।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हो।

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में जहाँ कहीं भी प्रयुक्त शब्द "अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर" शब्द "अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(4) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2 (1) के आलोक में, जबतक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885; बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950; बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959; बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 एवं बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 में उपबंधित परिभाषाएँ लागू होगी।

3. उक्त नियमावली, 2012 के नियम 6 के उपनियम (3), (4), (5), (7) एवं (8) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किए जाएंगे:–

"(3) भू–स्वामी/रैयत अपने धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा, वंशावली विहित "प्रपत्र–3(1)" में शिविर के प्रभारी यथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित कर सकेगा;

(4) स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उपनियम–(1) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जायेगा तथा इसका सत्यापन राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेखों से किया जायेगा।

(5) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी स्वघोषणा के ब्योरों को राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेखों, यथा–विगत सर्वे खतियान, जमाबंदी पंजी, खेसरा पंजी, विगत चकबंदी खतियान, चालू खतियान एवं उपलब्ध अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करेगा;

(7) स्वघोषणा के सत्यापन के उपरांत, संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी "प्रपत्र–3" में सत्यापन प्रमाण–पत्र तैयार करेगा;

(8) कोई स्वघोषणा, जिसे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा, सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण, सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, तो उसके सत्यापन नहीं होने का संक्षिप्त कारण एक पृथक पंजी प्रपत्र–4 में संधारित किया जायेगा।

4. **उक्त नियमावली 2012 का नियम 8 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उप नियम (3) विलोपित किया जाएगाः–**(1) संबंधित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा राजस्व ग्रामवार, खानापुरी दलों का गठन निम्नलिखित को मिला कर किया जाएगा :–

(i) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी

(ii) कानूनगो / विशेष सर्वेक्षण कानूनगो

(iii) अमीन / विशेष सर्वेक्षण अमीन

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 का उपनियम (3)–विलोपित।

5. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 9 में संशोधन।–(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 का उपनियम 2 विलोपित किया जाएगा।**

(2) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 का उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"3(क) वैसी स्वघोषणा, जिसका सत्यापन पूर्व में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो सका हो, का सत्यापन खानापुरी दल द्वारा उपलब्ध अधिकार अभिलेखों यथा विगत सर्वे का खतियान/अद्यतन खतियान, चकबंदी खतियान, खेसरा पंजी, चालू खतियान, जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अधिकार अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा।"

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 के उपनियम 3(क) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम (3)(ख) जोड़ा जाएगाः–

"(ख) खानापुरी दल जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर आधारभूत अधिकार अभिलेखों यथा खेसरा पंजी में रैयती जोतो के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करेंगे, का विवरण निम्नवत हैः–

(i) **अद्यतन जमीनी वास्तविकता**–स्थल सत्यापन के क्रम में पाया गया स्वत्व आधारित स्वामित्व एवं स्वत्व से संबंधित कागजातों के आधार पर भूमि पर दखल–कब्जा की स्थिति;

(ii) **परिवर्त्तन**–कालानुक्रम में भू–खंडों में आये भौगोलिक परिवतनों की स्थिति;

(iii) **अन्तरणों**–सरकार द्वारा बन्दोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, दान, सतत लीज, क्रय–विक्रय, इत्यादि के आधार पर भूमि/भू–खण्डों के स्वामित्व की स्थिति;

(iv) **उपविभाजन**–आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित काश्तकारी भूमि का बंटवारा, निबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया गया बंटवारा एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद/बंटवारा वाद में पारित आदेश, इत्यादि के उपरांत भूमि/भू–खण्ड की अद्यतन स्थिति।"

(4) नियम 9 के उप नियम (4) के प्रावधान को "4 खंड (क)" के रूप में उल्लिखित किया जायेगा तथा उसके बाद निम्नलिखित खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) अंतः स्थापित किए जाएंगेः–

"(ख) खानापुरी प्रक्रम के दौरान स्थल जांच के समय यदि संबंधित रैयत सूचना के बावजूद प्रश्नगत भूमि/भू–खण्ड (प्लॉट) पर उपस्थित नहीं पाये जाते हैं, तो अमीन उक्त रैयत की अनुपस्थिति को याद्दाश्त पंजी में दर्ज करेगा एवं क्रमानुसार आगे बढता चला जाएगा। यदि उक्त रैयत निर्धारित तिथि के पश्चात् उपस्थित होते हैं, तो वैसे रैयत की भूमि का विवरण अमीन अंकित करते हुए तारीख के साथ अपना हस्ताक्षर याद्दाश्त पंजी "प्रपत्र–3(2)" में दर्ज करेगा।

याद्दाश्त पंजी में वैसे सभी राजस्व अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर खानापुरी के समय किसी रैयत विशेष के नाम से जमीन का खाता खोला जाता है।

(ग) खानापुरी प्रारम्भ करने के पूर्व अमीन कानूनगो के पर्यवेक्षण में सभी रैयतों का वंशावली अर्थात् कुर्सीनामा साविक तेरीज के अनुसार खातावार तैयार करेगा। वंशावली सर्वेक्षित ग्राम के आम लोगों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार वंशावली तैयार करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। संधारित वंशावली पर रैयतों/आम लोगों/जन प्रतिनिधियों का यथासाध्य हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। यदि मूल रैयत अथवा उनके वैध वारिसान द्वारा भूमि हस्तान्तरित किया जाना पाया जाता है, तो वंशावली के दूसरे पृष्ठ पर रैयत अपना विस्तृत विवरण अंकित करेगा। इस प्रकार तैयार वंशावली का नमूना जाँच (Random) सहायक

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी की जाएगी। वंशावली के आधार पर रैयतों के हिस्से का अंश सुसंगत हिन्दू उत्तराधिकारी कानून/इस्लामिक उत्तराधिकारी कानून, अथवा जो भी लागू हो, के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(घ) खानापुरी पर्चा से संबंधित सूचना रैयतों को प्राप्त होने के उपरांत इसकी प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप रैयत द्वारा अधिकतम 15 दिनों में संबंधित पदाधिकारी को समर्पित किया जा सकेगा।"

6. **उक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 11 के उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपनियम (1क) अंतःस्थापित किया जाएगाः–"(1क)** नियम–9 के उपनियम–(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) एवं नियम 10 का उपनियम–(1), (2), (3), (4), में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच कार्य नियम 14 के अधीन किये जाने वाले विश्रांति प्रक्रम के दौरान पूरा किया जायेगा। विश्रांति कार्य दो प्रशाखाओं यथा (i) अभिलेख तथा रकबा प्रशाखा एवं (ii) खेसरा प्रशाखा में किया जायेगा।"

7. **उक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित नया नियम 5क अंतःस्थापित किया जायेगाः–**

5(क)(i) अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान दर–तालिका के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए उसके धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका "प्रपत्र–18(क)" में तैयार करेगा। लगान दर तालिका निम्नरूपेण वार्षिक आधार पर तैयार किया जायेगा–

(क) वासगीत की भूमि–1.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(ख) कृषि योग्य भूमि–0.75 रूपये प्रति डीसमिल।

(ग) भीठ भूमि–0.60 रूपये प्रति डीसमिल।

(घ) चौर, दियारा, पथरीली एवं बलुआही भूमि–0.50 रूपये प्रति डीसमिल।

(ङ) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि–1.00 रूपये प्रति एकड़।

(च) शहरी क्षेत्र की भूमि–5.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि–बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

यदि व्यावसायिक उपयोग से संबंधित भूमि को भविष्य में व्यावसायिक प्रयोजन में नहीं लाया जाता है अथवा व्यावसायिक प्रयोजन से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसके वास्तविक उपयोग के आधार में लगान निर्धारित होगा।

(ii) संबंधित राजस्व ग्राम के सभी रैयतों के द्वारा धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका तैयार हो जाने के पश्चात् संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा ग़लती से संबंधित आपत्ति प्राप्त करने के लिए लगान दर तालिका का प्रारूप प्रकाशित करेगा एवं 15 दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त करेगा।

(iii) प्रकाशन की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथोचित रूप से सुनवाई कर दायर वादों से संबंधित कार्यवाही अभिलेख का संधारण किया जायेगा एवं कार्यवाही की अन्य औपचारिकताएँ पूरी की जायेगी।

(iv) नियम–14 के उपनियम–(5)(i) के आलोक में तैयार की गई लगान दर तालिका पर नियम–14 के उपनियम (5)(ii) के तहत प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से समर्पित किये गये संबंधित राजस्व ग्रामों की रैयतवार बंदोबस्ती लगान दर तालिका की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसे सम्पुष्टि एवं स्वीकृति के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(v) उपनियम–(5)(क)(iv) के तहत प्राप्त संबंधित राजस्व ग्रामों की रैयतवार लगान दर तालिका को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के स्वीकृति किया जायेगा। लगान दर तालिका में सुधार की स्थिति में इसे संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए वापस किया जायेगा।

पुनर्विचार के लिए प्राप्त संबंधित राजस्व ग्राम के रैयतवार लगान दर तालिका में संशोधन हेतु सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत करते हुए सुनवाई की कार्रवाई करेगा एवं कार्यवाही संचालित कर अभिलेखबद्ध करेंगे तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आदेश पारित कर संबंधित रैयत/रैयतों द्वारा धारित भूमि की विवरणी से संबंधित लगान दर तालिका में आवश्यक सुधार कर अधिकार अभिलेख प्रपत्र–20 में संबंधित रैयत/रैयतों के धारित भूमि/भू--खण्डों से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में बंदोबस्ती लगान की प्रविष्टि करेंगे।

(vi) बंदोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को अंतिम रूप से रैयतवार उसके द्वारा धारित भूमि/भू–खण्ड के संदर्भ में तैयार

करायेगा तथा नियम–14 के उपनियम–5 के अनुसार जाँचोपरांत व्यवस्थित कर अधिकार–अभिलेख में उसे निगमित करेगा तथा प्रकाशित करेगा।"

8. उक्त नियमावली, 2012 के अध्याय–X को विलोपित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली, 2012 का अध्याय–XI के नियम 21 के अंतिम वाक्य यथा "उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अधिनियम की धारा–16 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के कार्य के तकनीकी पहलुओं को भी समाविष्ट किया जाएगा" को विलोपित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/2/19

सरकार के प्रधान सचिव।

C:\sanjeev\sec-8\Rajeev G\ACT\Bihar Special Surbay Amme. 2019_Hindi-05.02.19.doc

प्रपत्र–2

(देखें नियम–6 उप नियम–(1))

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व–घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–...थाना नं0:–.. हल्का नं0:–......................................

पुलिस थानाः–...अंचलः–.. जिलाः......................................

रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा						जमाबंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्तराधिकार/दान क्रय/बंदोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।

नोटः– इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

रैयत का हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
मोबाई नं0 एवं आधार सं0

तिथिः–

स्थानः–

प्रपत्र–3

(देखें नियम–6 का उप नियम–(7))

स्व–घोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–...थाना नं0ः–... हल्का नं0ः–...

अंचलः–...जिलाः–..

रैयत का नाम	रैयत द्वारा दाखिल स्व–घोषणा का क्र0 सं0	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0	सेस को छोड़ कर लगान	भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पायी गयी				अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अमीन का हस्ताक्षर कानूनगो का हस्ताक्षर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र 3 (1)

वंशावली

अधिनियम की धारा 5 (1)

सेवा में,

शिविर प्रभारी
अंचल..
जिला..

विषयः— स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i) श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
(ii) श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
(iii) श्री/श्रीमती.. श्री/श्रीमती..
पुत्री (यों), पत्नी...............................निवासी..............................ग्राम...................................
पुलिस थाना..........................अंचलः—....................... जिला..........................**जाति**..................
ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। में अंकित है स्व.........
.... पिताः—.. ग्राम ....
जो राजस्व ग्रामः—.................. अंचलः—...............................के जमाबंदी क्रमांक संख्या............
............................में प्रविष्ट थे, की...................................../खतियान में अंकित खाता
संख्या..खेसरा संख्या......................रकबा..
लगान.. को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है।
मैं/हमलोगों निम्न वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित आर्जित किया हूँ/हैं। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी–।। के अनुसार)
(नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तरधिकार के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर सम्बन्धित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–याचिकार्त्ता/(ओ) का वंशवृक्ष

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है:–

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			खाता	खेसरा	रकवा ए0डी0	चौहद्दी	

मैं/हमलोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार–अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–

1. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष
2. जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद सं0/वर्ष
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)
4. दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति
6. आवेदनकर्त्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिज होने के संबंध में प्रमाण–पत्र
7. आवेदनकर्त्ता/ओं के आधार कार्ड की छायाप्रति
8. आवेदनकर्त्ता/ओं के वोटर कार्ड की छायाप्रति

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

यादद्‌दाश्त पंजी

प्रपत्र 3 (2)

{धारा 5 की उप धारा (1)}

अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला याददाश्त पंजी

बंदोबस्त कार्यालय का नाम.., अंचल ....पंचायत ....

शिविर ...., कार्यालय का नाम ....राजस्व ग्राम ....

थाना संख्या ...., जिला ....अमीन का नाम एवं पंजीयन संख्या..........................

याद्‌दाश्त क्रम संख्या	नया खेसरा संख्या	पुराना खेसरा संख्या	पुराना खाता संख्या	पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता	वर्त्तमान दखलकार का नाम एवं पूरा पता	वर्त्तमान दखलकार का वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियानी रैयत/दखलकार के साथ वर्त्तमान दखलकर्त्ता का सम्बन्ध एवं दावे से सम्बन्धित दस्तावेजों का विवरण	अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर दावा किये जाने वाले भूमि का रकबा	दखल के अन्तर्गत की भूमि का खाता–खेसरा रकबा–चौहद्दी का विवरण	स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि के साथ	मौके पर अनुपस्थित किन्तु बाद में उपस्थित रैयत/ रैयतों का हस्ताक्षर तिथि सहित	आदेश का विवरणी	प्रपत्र 6 में प्रविष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–4

(देखें नियम–6 का उप नियम–(8))

गैर–सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम:–..थाना नं0:–.. हल्का नं0:–.....................

अंचल:–..जिला:–..

रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा–पत्र की क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0 (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अमीन का हस्ताक्षर   कानूनगो का हस्ताक्षर   सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5
(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)
खतियानी विवरणी

राजस्व ग्रामः–..थाना नं0:–.. अंचल..

जिलाः–...

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा संख्या	चौहद्दी (वैकल्पिक	रकवा				लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
					कृषित	अकृषित	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–6

(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)

खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–..थाना नं0ः–.. हलका नं0...

अंचलः–.. जिलाः–..

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम जाति एवं पता	रैयत का आधार नं0 एवं मोबाईल नं0	खेसरा सं0		पुराना खाता नं0	खेसरा का रकवा		चौहद्दी	खेसरा की भौतिक विवरणी/उपलब्ध अलामत	भूमि का वर्गीकरण वासगीत/कृषि/भीठ/चौर दियारा/सरकारी/शहरी/व्यावसायिक	फसल के अंतर्गत रकवा						शेष छोड़कर लगान	वर्त्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप					अभ्युक्ति
			नया	पुराना		ए0	डि0				भदई	अगहनी	रबी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		कृषि	परती	आवासीय	व्यावसायिक	अद्यौगिक अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

अमीन का हस्ताक्षर   कानूनगो का हस्ताक्षर   सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लगान बन्दोबस्ती दर तालिका प्रपत्र–18 (क)

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली संशोधन, 2018 के नियम–14 का उप नियम–5 (क)(i) देखे

मौजाः–......................थाना सं0ः–...............अंचलः–............................जिलाः–..............................

लगान दर

(क) वासगीत की भूमि– 1.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(ख) कृषि योग्य भूमि– 0.75 रूपये प्रति डीसमिल।

(ग) भीठ भूमि– 0.60 रूपये प्रति डीसमिल।

(घ) चौर, दियारा, पथरीली एवं बलुआही भूमि–0.50 रूपये प्रति डीसमिल।

(ङ) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि– 1 रूपये प्रति एकड़।

(च) शहरी क्षेत्र की भूमि– 5.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि– बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

क्रमांक	रैयत/अभिधारी का नाम/	खेसरा नं0	भूमि की प्रकृति वासगीत/कृषि योग्य/भीठ भूमि/चौर दियारा/सरकारी/शहरी क्षेत्र/व्यावसायिक	रकबा	दर	कुल लगान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन का हस्ताक्षर   स0ब0प0/विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0 का हस्ताक्षर   बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–19
(देखें नियम–14 का उप नियम–(4))
नये खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.............................राजस्व थाना संख्या..............................अंचल.................................जिला...

क्र0 सं0	पुराना खेसरा नं0	नया खेसरा नं0	पुराना खाता संख्या	नया खाता संख्या	पुराना रकबा ए0 डी0	नया रकबा ए0 डी0	पुराना चौद्दी वैकल्पिक	नया चौद्दी	पुराना रैयत का नाम	नया रैयत का नाम	फसल के अधीन रकबा						सेस को छोड़कर लगान	दखल सहित अभ्युक्ति
											भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
हस्ताक्षर

GOVERNMENT OF BIHAR

REVENUE & LAND REFORMS DEPARTMENT

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2019

Notification

No-08 / Niyam Sanshodhan(Survey)–08–02 / 2012(Part)...131...(8) / Ra, dated– 27/2/19

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012:-

1. Short title, extent and Commencement.- (1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2019".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule-2 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following.-Rule-2(1), In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) **"Special Survey"** means the construction of digital map and construction and maintenance of record of rights to be made on the basis position of the property and ownership relating to the land with the help of modern technology by using aerial Photographs/ Satellite Images - taking latest position of land;

(ii) **"Map"** means the map of land that is say configuration prepared village wise of all the existing plots Revenue village with total numbers khesras and boundaries and all necessary details with the help of modern technology/ E.T.S or human technique by using Aerial Photographs/Satellite Images;

(iii) **"Control Point"** means the control points established by the Department of Survey of India, mainly made for control points for the Survey in the context of primary, secondary, tertiary,etc;

(iv) **"Amin Diary"** means Amin diary maintained in the prescribed format for verification and examination in work of survey, by Amin/Speical Survey Amin described in Serial no.-XI of sub-section (2) of section-2, of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 during field visit within the different stages of land survey for recording the proceeding of measurement and land survey;

(v) **"Yaddast Register"** means a Register maintained in the prescribed format by Amin and Kanungo for entering the claims and other details received from Raiyats with respect to their land under sub-section (1) of Section-5 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time);

(vi) **"Pedigree"** means Pedigree prepared in the prescribed format Land Statement basis claim entered in it received from raiyats prepared by Amin/Kanungo within their jurisdiction clarifying their relationship with original Khatiyani/Jamabandi Raiyats under the provisions of sub-section (1) of section-5 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time);

(vii) **"Deputy Collector Land Reforms"** means an officer appointed by the State Government as Land Reforms Deputy Collector for discharging duties and liabilities described for maintenance of land-records during land survey as per procedure described in the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended time- to- time) and the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012;

(viii) **"Circle Officer-"** means an officer appointed by the State Government as Circle Officer to discharge the duties and liabilities described in the Rules and the Act;

(ix) **"Special Survey Amin- "** means Special Survey Amin working as an Amin for Special Survey works for discharging the duties and liabilities of Amin described in the Rules and the Act;

(x) **"Special Survey Kanoongo-"** means Special Survey Kanoongo working as kanoongo for discharging the duties and liabilities of Kanoongo described in the Rules and the Act;

(xi) **"Special Survey Assistant Settlement Officer- "** means an officer working as Special Survey & Settlement Officer to discharge the duties liabilities of the Assistant Settlement Officer in Special Survey as described in the Act and Rules.

(xii) **"Electronic Total Station-"** means the modern equipment measuring the land in conformity according to criterion as prescribed by the

B. Mehra

Government and in conformity with the standards determined by the Government;

(xiii) "**Differential Global Positioning System-**" means the modern equipment to indicate Specific Co-ordinations of Specific Place and correct positions on the Earth by linking the signals received from the Satellite with Ground Co-ordinates;

(xiv) "**Tie-Line-** " means the line connecting the smaller Survey Blocks on the main Survey Line;

(xv) "**Teriz-**" means the statement prepared by recorded informations of the entries in the Khatiyan- currently in use;

(xvi) "**Land Parcel Map-**" means a map depicting one parcel as part of specific land portion.

(2). Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning which have been assigned to them in the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time).

(3). The words "**Licensed Surveyor" used in the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 shall be substituted by the words "Amin/Special Survey Amin"**

(4). In view of section-2 (1) of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, unless otherwise requires in the context the definitions provided in the Bihar Tenancy Act, 1885, the Bihar Land Reforms Act, 1950, the Survey and Settlement Manual, 1959, the Tenant holding (Maintenance of Records) Act, 1973 and Bihar Mutation Act, 2011 shall be applicable.

3. Sub rule (3), (4), (5), (7) and (8) of rule-6 of the said Rules, 2012 shall be is substituted by the following respectively :-

"(3) A land holder/Raiyat may submit before the Assistant Settlement Officer in survey office or camp office, a self declaration in respect of land held by him in Form-2 and Pedigree in prescribed Form-3(1).

(4) Self declaration shall be received by the Assistant Settlement Officer as per provisions provided in sub-rule-(1) and the same shall be verified with the help of different Revenue records of right.

B. Mehrotra

(5) Assistant Settlement Officer shall verify details of self declaration with the help of different records of right such as last survey khatiyan, Jamabandi Register, Khesra Register, last consolidation khatiyan, continuous khatiyan and other available revenue records.

(7) After verification of self declaration, concerned Assistant Settlement Officer shall prepare verification certificate in Form-3.

(8) Any self declaration which could not be verified by the Assistant Settlement Officer due to non availability of the relevant records or due to disputes a brief reason for non verifications shall be maintained in a separate register in Form-4.

4. Sub-rule-(1) of Rule-8 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following and sub-rule-(3) shall be deleted:-

(1) Revenue village wise Khanapuri parties shall be constituted by the Settlement Officer of the concerned district consisting of the following :-

(i) Assistant Settlement Officer/Special Survey Assistant Settlement Officer.

(ii) Kanoongo/Special Survey Kanoongo.

(iii) Amin/Special Survey Amin.

Sub-rule-(3) of The Bihar Special Survey Settlement Rules-2012-deleted.

5. Amendment in Rule-9 of the said Rules, 2012.-(1) Sub-rule-(2) of Rule-9 of the said Rules, 2012 is deleted.

(2) Sub-rule-(3) of Rule-9 of the Bihar Special Survey and Settlement Rule-2012 is substituted by the following:-

"(a) Such self declaration which could not be verified earlier by the Assistant Settlement Officer, shall be verified by the Khanapuri party on the basis of available records of right such as last Survey Khatiyan, updated khatiyan, consolidation khatiyan, Khesra register, continuous khatiyan, Jamabandi register and other revenue records of right."

(3) New sub-rule-(3)(b) is added after sub-rule-3(a) of the Bihar Special Survey and Settlement Rule-2012.

"(b) The khanapuri party, having regard to such facts, shall determine the infrastructure in record of rights, such-as khesra register right of cultivation and ownership shall be as follows:-

(i) **Account uptodate ground realities-** property based ownership found in course of Land verification and on the basis of papers related to property, position of possession;

(ii) **Changes**-position of Geographical changes in land plots in due course of time;

B. Mehrotra

(iii) **Transfers**-Position of ownership on the land/land plots on the basis of land settlement, Bhoodan Praman Patra, sale-purchase, gift, perpetual lease etc. by the Government;

(iv) **Sub-division**- up to date position of land/Land plots after division of rayati land on the basis of mutually signed consent, on the basis of registered deed and order passed by the civil court in property suit/partition suit.

(4) Provision of Sub-rule-(4) of Rule-9 shall be mentioned as clause (a) and thereafter the following clauses (b), (c) and (d) shall be inserted:-

"(b) If concerned raiyat is not found present at the time of spot verification during khanapuri stage, then the Amin shall enter the same in the Yaddast register and proceed serial-wise. If such raiyat makes his presence after fixed due date, then the land details of such raiyat shall be entered by Amin with his signature and date in the yaddast register "Form-3(2)".

Details of revenue records/ documents/evidences shall be entered in the Yaddast register on the basis of which khata has been opened during khanapuri stage in the name of concerned raiyat.

(c) Before initiating khanapuri works, concerned Amin shall prepare pedigree of all raiyats khata-wise on the basis of Terij of khatian under the supervision of Kanoongo. Pedigree shall be prepared of all survey related villages in the presence of general public and assistance will be sought from local public/representatives as per requirement. Signatures will be procured on the pedigree that of raiyats/general people/public representatives. If land is found to have been transferred by the original raiyat or his real heir, then concerned raiyat shall enter his details on the other page of the pedigree. Such prepared pedigree shall be randomly examined by the Assistant Settlement officer also. Share of raiyats shall be determined on the basis of pedigree as per provisions laid down in Hindu Succession Law/Muslim Succession Law or whatever is applicable.

(d) After receipt of information related to khanapuri parcha, concerned raiyat shall file his claim/objection against the entries in Form-8 within maximum of 15 days."

6. Following sub-rule (1a) shall be inserted after sub-rule-(1) of Rule-11 of the above Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 :-

"(1a) Checking of Maps and record of rights prepared in view of the provision of sub-rules-(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) of Rule-9 and sub-rule-(1), (2), (3), (4) of Rule-10 shall be completed during recess under Rule-14. Recess work shall be completed in two sections-(i) records and area section and (ii) khesra section.

B. Mehrotra

7. New sub rule-(5a) shall be inserted after sub-rule-(5) of Rule-14 of the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 :-

"**(5a)(i)** After publication of draft of record of rights, Assistant Settlement Officer shall prepare Settlement Rent Roll in Form-18(a) on the basis of rent table fixed by the State Government for every raiyat of the concerned revenue village. Annual rent roll shall be prepared as per following:-

(a) Homestead Land- Rs.1.00 per decimal.
(b) Agriculture Land-Rs.0.75 per decimal.
(c) Bhit Land - Rs.0.60 per decimal.
(d) Chaur, Diyara, Pathrili and Sandy land - Rs.0.50 per decimal.
(e) Different Government land and land controled by different Government Departments - Rs.1.00 per acre.
(f) Urban land - Rs.5.00 per decimal.
(g) Commercial Land-as per provisions laid down in the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.

If the Commercial land is not put to commercial use in future or the same is exempted from Commercial use, then rent shall be fixed in view of its actual use.

(ii) After preparation of rent roll of the concerned village as per land details and its nature, owned by all raiyats, concerned Assistant Settlement Officer shall publish draft rent roll for receipt of objections and claims and such objections shall be received within 15 days from the date of its publication.

(iii) Claims and objections received during the publication of draft rent roll shall be disposed of after giving reasonable opportunity of hearing to concerned parties. Records of proceedings shall be maintained as case record & other formalities shall also be completed.

(iv) After disposal of claims & objections received in view of the provisions of subrule-(5) (i) of Rule-14 and rent roll prepared in view of subrule-(5)(ii) of Rule-14, the Charge Officer shall examine rate of settlement rent roll as submitted by the Assistant Settlement Officer. The Charge Officer shall examine the settlement rent roll and if it is found correct, he shall submit it to the Settlement Officer for confirmation and sanction.

(v) The Settlement Officer may sanction Raiyat wise settlement rent roll with or without correction in view of subrule-(5)(a)(iv). If correction is required in settlement rent roll, the same shall be returned to the Assistant Settlement Officer for reconsideration.

For amendment in rent Table Raiyatwise of concerned Revenue Village received for reconsideration, the Assistant Settlement Officer shall issue notices

B. Mehrotra

to concerned parties for amendment in Raiyat wise rent roll and after hearing concerned parties, his findings shall be recorded in case record. After hearing and completing other formalities correction will be made in concerned rent roll and rent shall be incorporated in the relevant columns of Form-20 of Record of Rights of the land owned by concerned Raiyat/Raiyats .

(vi) After final sanction by the Settlement Officer, Assistant Settlement Officer shall prepare settlement rent roll with respect to land/land plots owned Raiyat wise and after proper verification systematically arrange & incorporate and publish the same in view of subrule-(5) of Rule-14.

8. Chapter-X of the said Rules, 2012 shall be deleted.

9. Last sentence of Rule-21 of Chapter-XI of the said Rules, 2012- namely **"Technical aspects of the work of the licensed surveyors under section-16 of the Act shall also be incorporated in the said Technical Guidelines"** shall be deleted.

By order of the Governor of Bihar

B. Mehrotra 27/2/19

Principal Secretary to the Government

Form-2

(See Rule 6 Sub Rule (1))

FORM FOR SELF-DECLARATION OF LANDS OWNED/HELD BY THE RAIYATS.

Revenue Village:–.................................Thana No.:–................................. Halka No.:–.................................

Police Station:–.................................Anchal:–.................................District:.................................

Name of the Raiyat, (Including name and share of Co-sharer, if any) & Father's Name	Permananet Address	Details of Lands Owned/Held						Jamabandi No.	Basis of claim over the land such as Sucession/Gift Purchase/Settlement/Others	Remarks, If any,
		Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	Classification of Land	Rent excluding cess.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We declare that the entries made in self-declartation is true to my/our knowledg. In case of any wrong entry in self- declaration, I/We shall be held liable for the same.

Note: This form shall be submitted in duplicate. One copy shall be made over to the petitioner as token of receipt after putting initial date and serial no. of the petition by the receiving officer/employee.

Signature/Thumb Impression of the Raiyat
Mobile No. and Aadhar No.

Place:-.................. Date:-..................

FORM-3

(See Sub Rule (7) of Rule-6)

FORM VERIFICATION CERTIFICATE ISSUED AGAINST SELF- DECLARATION

Revenue Village:–..Thana No.:–.. Halka No.:–..

Anchal:–..District:–..

Name of the Raiyat	Serial No. of Self-Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classification of Land	Jamabandi No.	Rent excluding cess.	Entries of Land found correct				Remarks, If any,
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

Form 3 (1)

Pedigree (Family Tree), Section 5 (1) of the Act

To,

Camp In charge
Circle...
District...

Subject- Regarding Submission of self Pedigree (family tree)

Sir,

Duly informing with regard to above mentioned subject here by I/We have to say that

(i) Mr. / Mrs.. Son / Daughter / Wife of..........................

(ii) Mr. / Mrs. ....Son / Daughter / Wife of ....

(iii) Mr. / Mrs. .... Mr. / Mrs. .... Daughter (Daughter's), Wife of ....Resident of.. Village...Police Station........................Circle.:–........................District .... **Caste (In capital letter)** ....whose description is written and attached along with application in the form II Late...Father:–......................... Village ....who was mentioned in Jambandi Panji Serial Number......................... Revenue Village:–..................................Circle:–...and whose details described as Khata Number:- .... Plot Number:- ....Area:-..Rent (in rupees):-.......... ....in (CS/RS/Chakbandi) .... Khatiyan. On the basis of hereditary devolution/ Partition, I / We have earned the interest as heirs according to Family Tree Table mentioned below as per Khatiyan / Register-II.

I / We hereby declare that on the basis of below attached family tree as per Khatiyan/Register-II have earned the interest in above mentioned land under consideration is in our peaceful possession and is free from any dispute/title-suit. My/Our family tree as per Khatiyan / Jamabandi Panji is as follows.

So hereby I/We request to open an account (Khata) in My/ Our Name with plot detail on the basis of family tree described in form-III for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Sincerely

Signature/ Signatures of the
applicant/applicants

Possesion of Individual heir on the basis of Pedigree

Name of Raiyat	Father Name	Permanent Address	Details of Possession/Ownership				No. Jambandi
			Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	

I/We hereby declare that we have peaceful possession on the land and it is free from any dispute/title-suit. So hereby I/We request to open an account (Khata) in My/ Our Name with plot detail on the basis of family tree described in form-III for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Enclosures–

1. Date/Year of Dead Jambandidar
2. Details of Jamabandi No./ Revenue Recipt No./ Year
3. Copy of Khatiyan (If Available)
4. Detail Documents of Claimed Land
5. True copy of the order if delivered by Competent court
6. Valid documents for establishing heir of the dead raiyat/applicant
7. Photocopy of Aadhar card of applicants
8. Photocopy of voter id of applicants

Sincerely

Signature/ Signatures of the applicant/applicants

Yaddast Register Form-3 (2)

{Section-5, Sub Section-(1)}
Yaddast Register to be maintained by Amins

Settlement Office...Anchal ....Panchayt ....

Shivir ....Office Name ....Village ....

R.T. No. ....District ....Name and Registration No. of Amin................................

Yaddast Serial No.	New Plot No.	Old Plot No.	Old Khata No.	Name and Complete Address of Old Khatedar	Name and Complete Address of Present Possession Holder	Legal Basis of possession holder (Relation with khatiyani raiyat & supportive documents)	Land Area (On the basis of other paper documents)	Detail description of land (khata/khesra/ area/boundry)	Name and signature of the person with date present on the spot	Name and signature of the Raiyat/Raiyats with date (Absent on spot but later joined)	Details of Order	Date of Entry in Form-6	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

FORM-4

(See Sub Rule (6) of Rule 8)

FORM FOR REGISTER OF UN-VERIFIED/DISPUTED LANDS

Revenue Village:–.......................................Thana No.:–....................................... Halka No.:–....................

Anchal:–.......................................District:–.......................................

Name of the Raiyat	Serial No. of Self Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classification of Land	Jamabandi No. (if any)	Brief reason for non verification	Remarks
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-5
(See Rule-9, Sub-Rule-(1))
Khatiyani Details

Revenue Village:–..Thana No.:–.. Anchal.................................

District:–...

Serial No.	Raiyat's Name/Father/Spouce Name and Address	Serial No. of Khatiyani/ Record of Rights	Plot No.	Boundary (Optional)	Area				Lagan (Excluding Cess)	Remarks
					Agriculture	Non Agriculture Land	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Signature of Amin　　　　　Signature of Kanoongo　　　　　Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-6

(See Sub Rule-(1) of Rules-9)

Format for Kheshra Register

Revenue Village:–... Thana No.:–.. Halka No..

Anchal:–... District:–...

Sl. No.	Raiyat's Name/Father/ Husband	Aadhar and Mobile No. of Raiyat	Plot No.		Old Khata No.	Area of Khesra		Boundary	Physical description of Khesra/ Avialable Alamat	Classification of Land Homestead/ Agriculture/ Vith/Urban/ Commerical	Area under Crop						Lagan (Excluding Shesh)	Present Nature of Land					Remarks
			New	Old		A.	D.				Bhadai	Aghani	Rabi	Other Crop	Agriculture Land	Non Agriculture Land		Agriculture	Fallow	Residentional	Commerical	Others Industrial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-18(A)

Rate of Rent Settlement, Rent Roll 18(A)

(See Sub Rule-5(A)(i) of Rule-14)

Mauza:–..................................Revenue Thana No.:–......................Anchal:–........................District:–..................................

Rate of Rent

(a) Homestead Land- Rs.1.00 per decimal.
(b) Agriculture Land-Rs.0.75 per decimal.
(c) Beeth Land - Rs.0.60 per decimal.
(d) Chaur, Diyara, Pathrili and Sandy land - Rs.0.50 per decimal.
(e) Different Government land and land controled by different Government Department - Rs.1.00 acre.
(f) Urban land - Rs.5.00 per decimal.
(g) Commercial Land - as per provisions laid down in the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.

Serial No.	Name of Raiyat	Plot No.	Nature of Land Homestead Land/ Agriculture Land/Vith Land/Chaur, Diyara,/Government/Urban Area/Commercial Land	Area	Rate	Total Rent	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Amin/Signature of Special Survey Amin A.S.O/Signature of Special Survey A.S.O Signature of Settlement Officer

Amin Diary

Name of Amin...................... Name of Mauza.................. Revenue Thana No..................

Dated	Kishtwar			Verification of Khanapuri Plot			Hearing	
	Village Boundary Verification and Work of Kishtwar	No. of Total Khesra	Area	Name and Address of Old Khatedar	No. of Total Khesra	Area	No. of Cases given to Amin by A.S.O for enquiry validation and measurment with date	Returning date of enquiry report to shivir camp
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Verifying Officer

Signature of Amin

FORM-19
(See Rule-14, Sub-Rule-(4))
FORM OF NEW KHESRA REGISTER

Revenue Village:–.................................**Thana No.:–**................................... **Anchal**.................................**District:–**...................................

Serial No.	Old Khesra No.	New Khesra No.	Old Khesra No.	New Khesra No.	Old Area A. D.	New Area A. D.	New Boundary	Name of Old Raiyat	Name of New Raiyat	Area under Crop							
										Bhadai	Aghani	Rabi	Other Crop	Cultivalble	Uncultivalble	Rent excluding Cess	Remarks including Possession
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer-in-Charge of Camp